राजस्थान के प्रत्येक जिले में ब्लॉक एंव ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के चयन की सूचना

1. अलवर, अजमेर एवं जयपुर जिले में स्थित ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

इस हेतु समय–समय पर मैसेज भेजकर हमारी वेबसाइट पर आवेदन करने का अनुरोध किया जा रहा है। एक ब्लॉक में केवल एक ही प्रतिनिधि की नियुक्ति की जायेगी। इसी प्रकार एक ग्राम पंचायत में केवल एक ही प्रतिनिधि नियुक्त किया जायेगा। चयन के लिए उम्मीदवार में कार्य के प्रति लगन एवं ईमानदारी के साथ धीरे–धीरे आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए।

इच्छुक उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट पर आवेदन करना है। JOIN US > Apply Now >APPLY FOR BUSINESS ASSOCIATES

2. उम्मीदवार द्वारा दी गयी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता तथा कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जायेगा। अन्तिम रूप से चयनित सफल उम्मीदवारों को अपने ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संस्था के निर्देशानुसार काम करना होगा। चयन पूर्णतया व्यक्तिगत योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर किया जायेगा। इस हेतु संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।

3. चयनित उम्मीदवारों को संस्था के साथ किये जाने वाले कार्य, नियम एवं शर्तों के रूप में एक अनुबंध करना होगा। अनुबंध की वैधता के लिए 5000/– की राशि जमा कराना अनिवार्य है। इस राशि में से 1000 की राशि प्रशिक्षण एवं अन्य खर्च के रूप में जमा की जायेगी तथा 4000 की राशि संस्था के पास सिक्योरिटी के रूप में रहेगी जिससे अनुबंध समाप्ति के समय लौटा दिया जायेगा।

इसके साथ ही कार्यशील पूंजी के रूप में उन्हें बैंक में 60000/– की फिक्स डिपोजिट उनके अपने नाम से रखनी होगी व 2500 की राशि प्रदान किये गये उपकरणों के लिए आवश्यक होगी। मोबाईल अथवा नेटवर्किंग हेतु मासिक किराये की राशि का भुगतान भी उन्हें करना होगा।

4. सभी प्रकार के भुगतान केवल बैंक के माध्यम से किये जायेंगे और यदि निर्धारित सीमा के बाद आयकर अथवा जीएसटी लागू होता है तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी प्रतिनिधि की होगी।

5. प्रतिनिधि के रूप में चयनित अपने अधिकार को किसी अन्य के पक्ष में हस्तांरित नहीं किया जा सकेगा। केवल उसके परिवार के सदस्य जिसमें पत्नि अथवा पति एवं बच्चे शामिल हैं, को ही नामिनी बनाया जा सकेगा।

6. प्रतिनिधियों के चयन एवं कार्य के संबंध में सस्था द्वारा बनाये नियम मान्य होंगे और न्यायक्षेत्र जयपुर होगा।

सूचना

कृपया हमारी फर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार की नकद राशि का भुगतान न करें।